

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 397/2021 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

बनवारीगर पुत्र लालचन्द जाति गुंसाई निवासी बरमसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. बनवारीगर पुत्र लालचन्दगिर जाति गोसाई(गुंशाई) निवासी बरमसर।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 15.4.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील वादी व पेरोकारराज की उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा रामकां के ख.नं. 812 की 14.776 है. सांझा खाता की भूमि एवं बरमसर के ख.नं. 178, 203 की 17.477 है. सांझा खाता की कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम बनवारीगर पुत्र लालचन्दगिर के स्थान पर बनवारीगर पुत्र लालचन्द दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.4.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

